

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/80059

दिनांक 09.07.2018

से. में,

श्री हरपाल सिंह राणा,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

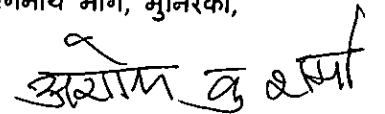
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 16.07.2018 के ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन जो राजभाषा द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया है, से संबंधित सूचना निम्नांकित है:-

केन्द्रीय सूचना आयोग में हिन्दी में प्राप्त सभी प्रथम अपीलों का निपटान हिन्दी में ही किया जाता है तथा हिन्दी में प्राप्त द्वितीय अपीलों में से भी कुछ का निपटान हिन्दी में किया जाता है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 में अपीलों से संबंधित आदेश/निर्णय की भाषा से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है ।

वेबसाइट से संबंधित कार्य एम. एंड आर. अनुभाग द्वारा किया जाता है, अतः वेबसाइट से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु आवेदन श्री जीवन चन्द्र, अनुभाग अधिकारी (एम. एंड आर.) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रसारित किया जा रहा है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।



(ए. के. शर्मा)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,

आर.टी.आई.सेल

दूरभाष - 011-26172690

प्रतिलिपि -

1. श्री जीवन चन्द्र, अनुभाग अधिकारी (एम. एंड आर.) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी - आर.टी.आई. आवेदन संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आवेदक को वेबसाइट से संबंधित सूचना प्रदान की जाए ।